

ट्रैक क्रॉसिंग केस के साथ प्रारंभ में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

दस्तावेज मुद्रित प्रारूप (मूल प्रति) में प्रस्तुत किए जाने हैं। दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स कॉपी की अनुमति नहीं है।

A. विद्युतीकरण के बिना कार्य के निष्पादन हेतु ट्रैक क्रॉसिंग के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

1. ट्रेसिंग पेपर पर साइट का कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग प्लान।
2. फाइल प्रोसेसिंग शुल्क (रु. 2000/-)।
3. रेलवे ट्रैक के ऊपर और उसके पार एक ओवरहेड पावर लाइन बनाने और बनाए रखने के लिए agreement (OH के लिए अनुबंध A. 4.02 / यूजी के लिए A.4.03), ₹ 500/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर agreement हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए (हिंदी और अंग्रेजी समझौते के लिए ₹ 500/- के अलग-अलग न्यायिक कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे)। समझौते के प्रत्येक पृष्ठ पर पार्टी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे (SEB के लिए SE/XEN और निजी पार्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी) समझौते में निर्धारित स्थान पर पार्टी की ओर से गवाहों के हस्ताक्षर के साथ।
4. वे लीव एग्रीमेंट ₹ 500/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नवीनतम प्रारूप के अनुसार पार्टी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित (SEB के लिए SE/XEN और निजी पार्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी) अनुबंध में निर्धारित स्थान पर पार्टी की ओर से गवाहों के हस्ताक्षर के साथ प्रत्येक पृष्ठ पर)।
5. डेटा, डिजाइन और गणना शीट (अनुलग्नक A. 4.01) विधिवत भरी हुई और पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित।
6. पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित Bar Bending schedule के साथ फाउंडेशन डिजाइन तथा ड्राइंग।
7. टेस्टिंग एजेंसी और पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तावित टॉवर स्थान की सॉइल बेअरिंग कपैसिटी (SBC) रिपोर्ट तथा NABL द्वारा जारी किये गये कंपनी के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
8. रेलवे द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज

B. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्रॉसिंग के energisation के लिए ईआईजी अनुमोदन के लिए ट्रैक क्रॉसिंग प्रस्ताव।

1. अनुपालन का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक ए. 4.04) पार्टी द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित (एसईबी के लिए एसई/एक्सईएन और निजी पार्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी)।
2. मापित मापदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में अंतिम संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और रेलवे की ओर से एसएसई (पी-वे) और एसएसई (विद्युत) द्वारा हस्ताक्षरित और पार्टी (एसईबी के लिए एईएन रैंक से कम नहीं)।
3. लाइन के विद्युतीकरण हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी ईआईजी अनुमोदन पत्र की प्रति।
